

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 700083-ए/16

संस्थित दिनांक :- 21/09/2016

01. श्रीमती चन्द्रवती तोमर पत्नी ओमप्रकाश तोमर उम्र 42 वर्ष।
निवासी : ग्राम चिराई (भौनपुरा), तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- वादी।

विरुद्ध

01. जनक सिंह तोमर पुत्र देव सिंह तोमर उम्र 71 वर्ष।
02. अरविन्द सिंह तोमर पुत्र जनक सिंह तोमर उम्र 36 वर्ष।
निवासीगण : ग्राम चिराई (भौनपुरा), तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड।
03. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला-कलेक्टर भिण्ड।

----- प्रतिवादीगण।

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 28/02/2018 को घोषित किया}

(01). वादी श्रीमती चन्द्रवती द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण जनक सिंह एवं अन्य के विरुद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 891 क्षेत्रफल 0.24, 1894/2829 क्षेत्रफल 0.10 सर्वे क्रमांक 1894 क्षेत्रफल 0.47, सर्वे क्रमांक 1896 क्षेत्रफल 0.87, सर्वे क्रमांक 1897 क्षेत्रफल 0.92, सर्वे क्रमांक 1900 क्षेत्रफल 0.40, सर्वे क्रमांक 1901 क्षेत्रफल 0.09, सर्वे क्रमांक 1902 क्षेत्रफल 0.09, सर्वे क्रमांक 1903 क्षेत्रफल 0.31, सर्वे क्रमांक 1904 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 1905 क्षेत्रफल 0.10, सर्वे क्रमांक 2123 क्षेत्रफल 0.42, सर्वे क्रमांक 2124 क्षेत्रफल 0.27, सर्वे क्रमांक 2230 क्षेत्रफल 0.36, सर्वे क्रमांक 2649 क्षेत्रफल 0.47, सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल 4.83, स्थित ग्राम भौनपुरा (एण्डोरी), तहसील-गोहद, के 1/3 भाग, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा सारवान रूप से स्वीकृत तथ्य है कि वादी चन्द्रवती का मृत पति ओमप्रकाश, प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह का पुत्र है और वादग्रस्त भूमियाँ ग्राम भौनपुरा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड में स्थित है। वादी द्वारा यह स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम स्वामी के रूप में दर्ज है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह के पूर्व मृत पुत्र ओमप्रकाश की पत्नी है। प्रतिवादी क्रमांक 02 अरविन्द वादी के पूर्व मृत पति का भाई है। वादग्रस्त भूमियों में वादी का 1/3 भाग है। वादग्रस्त भूमि वादी की संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है, जो उसे उसके पितामह/ससुर देव सिंह से प्राप्त हुई है, जिसमें उसके मृत पति ओमप्रकाश का जन्मना हिस्सा है। वादी के पति ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक : 10/03/1990 को हो चुकी है। पति की मृत्यु के पश्चात् ससुर जनक सिंह द्वारा वादी एवं उसकी पुत्री का भरण-पोषण ना करते हुए उन्हें घर से निकाल दिया गया। दिनांक : 05/04/2016 को जब वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह से कहा कि वादग्रस्त भूमि में हमारा हिस्सा दो या हमारा भरण-पोषण करें, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह ने कहा कि वादग्रस्त भूमि में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हमने तो तुम्हे 10 वर्ष पहले ही घर से निकाल दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 वादग्रस्त भूमि को अतिशीघ्र विक्रय करना चाह रहा है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जाये कि वादी वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा यह भी अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से अंतरित ना करें।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 01 वादग्रस्त भूमि का एकमेव स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह के ओमप्रकाश एवं अरविन्द दो पुत्रों के अलावा तीन पुत्रियों गुड्डी, कमलेश एवं रानी भी है, जिन्हें वादी द्वारा जान-बूझकर प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे उनके हिस्से से उन्हें वंचित किया जा सके। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति ना होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें वादी या उसके मृत पति ओमप्रकाश कोई हक हासिल नहीं है। वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/3 भाग ना होकर वंशवृक्ष के अनुसार 1/6 भाग है, जिस पर वह किराये से खेती करवा रही है और फसल प्राप्त कर रही है। प्रतिवादी क्रमांक 01 वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना नहीं चाहता और ना ही उसे वादग्रस्त भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यकता है। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(05). प्रतिवादी क्रमांक 03 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक् तामील के उपरांत भी उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(06). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 04/10/2017 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 891 क्षेत्रफल 0.24, 1894/2829 क्षेत्रफल 0.10, सर्वे क्रमांक 1894 क्षेत्रफल 0.47, सर्वे क्रमांक 1896 क्षेत्रफल 0.87, सर्वे क्रमांक 1897 क्षेत्रफल 0.92, सर्वे क्रमांक 1900 क्षेत्रफल 0.40, सर्वे क्रमांक 1901 क्षेत्रफल 0.09, सर्वे क्रमांक 1902 क्षेत्रफल 0.09, सर्वे क्रमांक 1903 क्षेत्रफल 0.31, सर्वे क्रमांक 1904 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 1905 क्षेत्रफल 0.10, सर्वे क्रमांक 2123 क्षेत्रफल 0.42, सर्वे क्रमांक 2124 क्षेत्रफल 0.27, सर्वे क्रमांक 2230 क्षेत्रफल 0.36, सर्वे क्रमांक 2649 क्षेत्रफल 0.47, सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल 4.83, स्थित ग्राम भौनपुरा (एण्डोरी), तहसील-गोहद, के 1/3 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?	“अप्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का प्रयास कर वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	“अप्रमाणित”
03.	क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	“प्रमाणित”
04.	अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?	वाद निर्णय के पद क्रमांक 14 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(07). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी चन्द्रवती वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी अजयपाल सिंह जादौन वा.सा.02 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये है। वादी ने उसके वाद के समर्थन में धारा 80 सीपीसी के रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्र.पी.01, ग्राम भौनपुरा के सर्वे क्रमांक 1891, सर्वे क्रमांक 1896, सर्वे क्रमांक 1897, सर्वे क्रमांक 1899, सर्वे क्रमांक 1902, सर्वे क्रमांक 1904, सर्वे क्रमांक 2123 एवं सर्वे क्रमांक 2124 के

वर्ष 2017-2018 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ क्रमशः प्र.पी.02 लगायत प्र.पी.09 प्रस्तुत की है। सर्वे क्रमांक 2223, सर्वे क्रमांक 2649, सर्वे क्रमांक 1901, सर्वे क्रमांक 1905, सर्वे क्रमांक 1900, सर्वे क्रमांक 1894 का अभिलेख कम्प्यूटर में ना होने संबंधी प्रदत्त दस्तावेज प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11, वादी के ससुर जनक सिंह का राशन कार्ड प्र.पी.13 एवं वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 02 अरविन्द के विरुद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.14 प्रस्तुत की है।

(08). वादी की ओर से वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 891, 1894/2829, 1894, 1900, 1901, 1903, 1905, 2230 एवं 2649 पर उसके ससुर जनक सिंह अथवा देवर अरविन्द अथवा स्वयं वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज यथा खसरा-खतौनी आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11 में इस तथ्य का उल्लेख है कि सर्वे क्रमांक 1894, 1900, 1901, 1905, 2230 एवं 2649 का अभिलेख कम्प्यूटर में उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज पर उक्त अभिलेख कम्प्यूटर में उपलब्ध ना होने संबंधी इबारत किसके द्वारा लिखी गई, इसका कोई उल्लेख उक्त दस्तावेज प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11 पर नहीं है, ना ही उनके उपर किसी के हस्ताक्षर हैं। वादी यदि चाहती तो वह उक्त वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों के पूर्व के वर्षों की खसराओं अथवा खतौनियों की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्रकरण में प्रस्तुत कर सकती थी, जो कि उसके द्वारा नहीं की गई।

(09). वादी की ओर से वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 1896, 1897, 1902, 1904, 2123 एवं 2124 के खसरे की जो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र.पी.03, प्र.पी.04, प्र.पी.06, प्र.पी.07, प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 प्रस्तुत की गई हैं, में वादी के ससुर जनक सिंह अथवा उसके देवर अरविन्द, अथवा स्वयं वादी का नाम उक्त वादग्रस्त भूमियों के स्वामी अथवा आधिपत्यधारी के रूप में अंकित नहीं है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित हैं।

(10). वादी की ओर से प्रस्तुत उसके ससुर प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह के खाता क्रमांक 128, सर्वे क्रमांक 1891, 1894, 1900, 1896, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2123, 2124, 2230, 2649, 1897, 1894/2829 स्थित ग्राम भौनपुरा पटवारी हल्का नम्बर 10 राजस्व निरीक्षक मण्डल एण्डोरी, विकासखण्ड एवं तहसील गोहद की सम्वत् 2057 में दिनांक : 24/06/2003 को तहसीलदार बी.आर.प्रसाद द्वारा प्रदत्त भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 98383 प्र.पी.12 में प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह उक्त वादग्रस्त भूमियों के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में वर्णित है, परन्तु वर्ष 2003 के पश्चात् से लेकर वर्ष 2017-18 के मध्य का वादग्रस्त भूमियों का ऐसा कोई राजस्व अभिलेख वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह या प्रतिवादी क्रमांक 02 अरविन्द या वादी चन्द्रवती का नाम दर्ज हो। यद्यपि प्रतिवादीगण ने उनके वादोत्तर के पद क्रमांक 05 में वादग्रस्त भूमि में वादी का

1/6 भाग का हिस्सा होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 02 अरविन्द प्रति.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि वादी चन्द्रवती ग्राम भौनपुरा स्थित चार बीघा भूमि पर काबिज होकर खेती कर ही है। वादी चन्द्रवती वा.सा.01 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादी चन्द्रवती, उसका ससुर जनक सिंह, देवर अरविन्द एवं तीन ननंदे अर्थात् कुल 06 हिस्सेदार हैं और वादी उसके 1/6 भाग पर बंटाईदार के माध्यम से खेती कर रही है। लेकिन वादी चन्द्रवती या प्रतिवादी क्रमांक 01 जनक सिंह या प्रतिवादी क्रमांक 02 अरविन्द को मात्र उभय पक्ष की स्वीकृतियों के आधार पर वादग्रस्त भूमियों के किसी भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता, जब तक की उक्त स्वीकृतियों का समर्थन वादग्रस्त भूमियों के वर्तमान के राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों से ना हो।

(11). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही हैं कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 891 क्षेत्रफल 0.24, 1894/2829 क्षेत्रफल 0.10, सर्वे क्रमांक 1894 क्षेत्रफल 0.47, सर्वे क्रमांक 1896 क्षेत्रफल 0.87, सर्वे क्रमांक 1897 क्षेत्रफल 0.92, सर्वे क्रमांक 1900 क्षेत्रफल 0.40, सर्वे क्रमांक 1901 क्षेत्रफल 0.09, सर्वे क्रमांक 1902 क्षेत्रफल 0.09, सर्वे क्रमांक 1903 क्षेत्रफल 0.31, सर्वे क्रमांक 1904 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 1905 क्षेत्रफल 0.10, सर्वे क्रमांक 2123 क्षेत्रफल 0.42, सर्वे क्रमांक 2124 क्षेत्रफल 0.27, सर्वे क्रमांक 2230 क्षेत्रफल 0.36, सर्वे क्रमांक 2649 क्षेत्रफल 0.47, सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल 4.83, स्थित ग्राम भौनपुरा (एण्डोरी), तहसील-गोहद, के 1/3 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(12). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्तियों में वादी का कोई हित निहित होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्तियों में निहित वादी के किसी हित में अवैध हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(13). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में वादी चन्द्रवती वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसके ससुर जनक सिंह के दो लड़के अर्थात् उसका पूर्व मृत पति ओमप्रकाश, देवर प्रतिवादी क्रमांक 02 अरविन्द सिंह और तीन लड़कियाँ अर्थात् वादी की ननदें माया कमलेश एवं रानी है। साक्षी ने

प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में उसके ससुर जनक सिंह, देवर अरविन्द, तीनों ननदें माया, कमलेश एवं रानी कुल 06 हिस्सेदार है। परन्तु वादी द्वारा उक्त तीन ननदों माया, कमलेश एवं रानी को, जिन्हें स्वयं वादी द्वारा वादग्रस्त भूमियों में हिस्सेदार होना स्वीकार किया है, वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि उक्त तीनों ननदे माया, कमलेश एवं रानी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, उन्हें पक्षकार ना बनाये जाने के कारण प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (14). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रही हैं। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (15). वादी स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेगी।
- (16). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (17). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.